अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती कान्ता साईवाल पत्नी स्व. श्री प्रेम सिंह साईवाल निवासी 258, मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. सुनील साईवाल पुत्र स्व. श्री प्रेम सिंह साईवाल
2. श्रीमती मीनाक्षी गोपालिया पत्नी श्री सुनील साईवाल

निवासी 258, मुक्तानन्द नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 18.04.2022 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 16/2021 व उनवानी श्रीमती कान्ता साईवाल बनाम सुनील साईवाल ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 20.10.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 16/2021 व उनवानी श्रीमती कान्ता साईवाल बनाम सुनील साईवाल में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी एक 65 वर्षीय वृद्ध, बीमार व सीनियर सीटीजन है जिसके पति का स्वर्गवास सन् 1995 में ही हो गया था जो कि राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में नौकरी करते थे तथा दौराने सर्विस उनका देहान्त हो गया। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उनकी जगह अनुकम्पा नौकरी दिये जाने के सवाल पर अपीलार्थी ने स्वयं अथवा अपने बडे पुत्र बृजमोहन की बजाय अपने छोटे पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 सुनील साईवाल के नाम की सिफारिश की तथा अपीलार्थी के प्रयास से ही प्रत्यर्थी संख्या एक को नौकरी मिली जिसका फायदा प्रत्यर्थी संख्या एक आज भी उठा रहा है। इसी दौरान दुर्भाग्य से अपीलार्थी के बड़े पुत्र का सन् 2021 में देहान्त हो गया तथा उसके बच्चे बेसहारा हो गये। इन हालात में अपीलार्थी पर स्वयं व बडे पुत्र के बच्चों की देखभाल व उनके पोषण का दायित्व भी आ

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

गया तथा अपीलार्थी व उनके बडे पुत्र की विधवा पत्नी व बच्चे हर तरह से मोहताज हो गये। अपीलार्थी का छोटा पुत्र सुनील साईवाल जिनको अपीलार्थी ने स्वयं अपने बड़े पुत्र का हक मार कर अनुकम्पा नौकरी दिलवाई वह अपनी पत्नी व जमाने की हवा से इतना मगरूर हो गया कि हमेशा मदमस्त रहता है तथा जन्म देने वाली माता व बड़े भाई के बच्चों की मदद करना तो दूर उन्हें प्रताड़ित करने में भी शर्म नहीं करता है। प्रत्यर्थी सुनील साईवाल स्वयं सरकारी नौकरी करता है तथा उसकी पत्नी भी सरकारी नौकरी करती है जो कि दोनों दोलत के नशे में मानवता की सारी मर्यादा तोड कर गुलछर्रे उडा रहे है तथा अपीलार्थी व बड़े भाई के बच्चों को प्रताड़ित करने में लगे हुये है तथा लोगों की समझाईश की भी कोई परवाह नहीं करते है। प्रत्यर्थीगण अपनी कमाई से आशियाना बना कर वृद्व माता तथा परिजनों को सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने की बजाय अपीलार्थी के आशियाना में ही डेरा जमाये हुये है तथा अपीलार्थी व उसके बडे भाई के बच्चों का जीना हराम कर रखा है तथा अपने स्वयं के बनाये मकान पर चले जाने की बजाय अपीलार्थी व उसके बडे भाई के बच्चों को ही उनका अपना आशियाना छोड कर बेघर करने को आमादा है तथा बुरी तरह जलील व प्रताडित करते है। इसलिए मजबूर हो कर अपीलार्थी को अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष परिवाद पेश करना पडा, लेकिन प्रत्यर्थीगण के प्रभाव के कारण अपीलार्थी की कतई परिवाह नही की जिससे मजबूर हो कर अपीलार्थी ने जगह जगह फरियाद की जिससे प्रभावित होकर संभागीय आयुक्त महोदय ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को दिनांक 26.07.2021 व स्मरण पत्र दिनांक 22.09.2021 को लिख कर निर्देश दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि अधीनस्थ अधिकरण ने प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निपटारा करने की बजाय आनन फानन में खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रत्यर्थीगण के निष्कासन ही नहीं बल्कि उसके प्रताड़ना के खिलाफ सुरक्षा व संरक्षा की प्रार्थना की थी तथा सम्पन्न पुत्र से निर्वाह भत्ता दिलवाने की याचिका भी की थी। लेकिन अधिनस्थ अधिकरण ने इस पर भी गौर नहीं किया तथा अपने दायित्व का निर्वहन करने की बजाय प्रकरण को अधिकार क्षेत्र के बाहर बता कर खारिज कर दिया जो कि सरासर कानून न्याय व नैतिकता के साथ साथ अपीलार्थी व बडे बच्चे की विधवा पत्नी व बच्चों के मानवाधिकार के विरूद्ध है। जिसके संबंध में इस कानून की भावना के मुताबिक स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान लिया जाकर मौत के कगार पर बैठी हुई वृद्व व बीमार महिला को सुरक्षा व संरक्षण के साथ भरण पोषण व शान्ति प्रिय जीवन बिनाने के लिए प्रत्यर्थीगण को निष्कासित कर न्याय दिलवाना वांछित था जो कि अकथनीय कारणों से उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया इसलिए उनका आदेश सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार का भयावह पहलू यह भी है कि निर्दयी बेटे बहुत ने अपीलार्थी के साथ मारपीट करने में शर्म नही की जिसकी एफ आई आर संख्या 109/2021 पुलिस थाना बजाज नगर जयपुर में दर्ज है जो अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कम संख्या–7 जयपुर महानगर प्रथम जयपुर में मुकदमा नम्बर 256/2021 उनवानी सरकार बनाम मिनाक्षी गोपालिया लम्बित है। इस प्रकार अपीलार्थी अत्यधिक परेशान व आतंकित है तथा त्वरित न्याय की अपेक्षा करती है । अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2022 को निरस्त किया जाकर परिवाद में वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे, जिसके कम में अपीलार्थी व उसके बडे लडके के बच्चों की सुरक्षा व संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनको प्रताडित कर उनका जीना हराम करने वाले प्रत्यर्थीगण सुनील साईवाल व उसकी पत्नी मिनाक्षी गोपालिया व उनके यार दोस्तों को अपीलार्थी के आशियाना से दूर रहने के लिए निर्देशित किया जाये तथा अपीलार्थी व उस पर आश्रित बडे पुत्र की विधवा पत्नी व बच्चों को पर्याप्त भरण पोषण भत्ते

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

दिलवाये जाने की कृपा करे तथा हर हाल में अनुकम्पा नौकरी से प्राप्त वेतन भत्ते व अन्य लाभ का नियमानुसार कम से कम 1/3 हिस्सा अलग से दिलवाया जावे ।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थी एक गृहणी थी जिनकी आय का कोई स्त्रोत नहीं था। अब पारिवारिक पेन्शन प्राप्त हो रही है। प्रत्यर्थी एक के पिताजी ने अपनी जीवनकाल में अपनी स्व अर्जित आय से एवं उनकी पैत्रिक सम्पत्तियों में से दो अचल सम्पत्तियों से मकान नम्बरे 258 मुक्तानन्द नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर एवं भू–खण्ड संख्या 222 गायत्री नगर ए, दुर्गापुरा टौक रोड जयपुर क्रय की गई थी तथा प्लाट नम्बर 258 मुक्तानन्द नगर जयपुर में अपने पिता जी के जीवन काल से अब तक निवास कर रहा है। प्लाट नम्बर 258, मुक्तानन्द नगर जयपुर का अधिकांश निर्माण कार्य प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा ऋण लेकर किया गया था। इसलिए अपीलार्थी की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थिया ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम, अपीलार्थी ने मकान नम्बर 258 मुक्तानन्द नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर में अपीलार्थी के हिस्से की सम्पत्ति 120 वर्गगज के जिस हिस्से (गैराज पोर्शन) पर प्रत्यर्थीगण काबिज है, उनसे खाली करा कर कब्जा दिलाने का अनुतोष चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) इस प्रकार है–Section 23. Transfer of property to be void in certain circumstances– (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transfer and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transfer or be declared void by the tribunal.

इस प्रकार अधिनियम की धारा 23 यह उपबन्ध करती है कि जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहां सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असम्यक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जावेगा। धारा 23 में दान द्वारा या अन्यथा (Otherwise) सम्पत्ति का अन्तरण किया जाना शामिल है। जिसमें लिखित व मौखिक अन्तरण भी हो सकता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत बेदखली का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नगारिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इस मामले में अपीलार्थी के जीवन व उसकी सम्पति की सुरक्षा के लिए अपीलार्थी की सम्पत्ति से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रत्यर्थीगण की बेदखली के बिन्दु पर उभयपक्ष को पुनः सुन कर मामले का निस्तारण करना उचित समझते है। द्वितीय, अपीलार्थी व उस पर आश्रित बड़े पुत्र की विधवा पत्नी व बच्चों को पर्याप्त भरण पोषण भत्ता दिलवाने तथा अनुकम्पा नौकरी से प्राप्त वेतन का 1/3 हिस्सा अलग से दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि अपीलार्थी को राज्य सरकार से फैमेली पेशन प्राप्त होती है। इसलिए अनुतोष संख्या दो स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

9. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के अपीलाधीन आदेश 18.04.2022 को अपास्त किया जाता है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित जाता है कि अपीलार्थी के जीवन व उसकी सम्पति की सुरक्षा के लिए प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के मकान से बेदखली के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय पारित करें।

10. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर